

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
:: मंत्रालय ::

क्रमांक: 821/ 884/18/ ब-1/चार, भोपाल, दिनांक: 31/ 07/2018  
प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
समस्त विभाग  
मंत्रालय, भोपाल ।


विषय:- राज्य एवं भारत सरकार से प्राप्त निधियों को बैंक खाते में जमा रखने  
के संबंध में।

संदर्भ:- महालेखाकार( सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा ) म0प्र0 ग्वालियर  
का पत्र क्रं0 रिपोर्ट(रा.वि.)/अध्याय-3/2017-18/D-1294, दिनांक  
17/07/18।

--:000:--

संदर्भित पत्र द्वारा कार्यालय महालेखाकार, ( सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र  
लेखापरीक्षा ) मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार  
द्वारा विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु जारी अनुदान/निधियों के व्यय  
हेतु संबंधित विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) द्वारा निधियों को  
शासकीय खातों/कोषालयों से आहरित कर, बैंक खातों में जमा रखकर बैंक खातों  
से निधियों का व्यय किया जा रहा है। इस संबंध में अनुरोध है कि विभाग में बैंक  
खातों से किए जा रहे लेने-देनों की ( दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में ) डी.डी.  
ओ. वाइज संकलित जानकारी संलग्न प्रपत्र के अनुसार, कृपया महालेखाकार एवं  
वित्त विभाग को दिनांक 10.08.2018 तक अवश्य भिजवाने का कष्ट करें ।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

  
30/7/2018

( डॉ मनोज गोविल )  
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग  
भोपाल, दिनांक: 31/07/2018

पृष्ठांक: 821/884/2018/ब-1/चार,  
प्रतिलिपि:-

महालेखाकार ( सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) म0प्र0 ग्वालियर की  
ओर सूचनाार्थ ।

  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)

मध्यप्रदेश, ऑडिट भवन, झॉसी रोड, ग्वालियर - 474002

क्रमांक: रिपोर्ट(रा.वि.)/अध्याय-3/2017-18/D-1294

दिनांक: 17.07.2018

प्रति,

आयुक्त  
संस्थागत वित्त  
सी विंग प्रथम तल विन्ध्यांचल गवन  
भोपाल, म0प्र0

884

22/07/2018

संस्थागत वित्त संकलन  
मध्यप्रदेश

आवक क्रमांक 2261

दिनांक 23/7/2018

विषय- राज्य एवं भारत सरकार से प्राप्त निधियों को बैंक खातों में जमा रखने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु जारी अनुदान/निधियों के व्यय हेतु संबंधित विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) द्वारा निधियों को शासकीय खातों/कोषालयों से आहरित कर, बैंक खातों में जमा रखकर बैंक खातों से निधियों का व्यय किया जा रहा है, इस प्रकार विभाग में बैंक खातों से किए जा रहे लेने-देनों की (दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में) डी.डी.ओ. वाइज संकलित जानकारी संलग्न प्रपत्र के अनुसार कृपया, इस कार्यालय को दिनांक 30.07.2018 तक अवश्य भिजवाने का कष्ट करें, साथ ही ऐसे प्रकरण, जिनमें वित्त विभाग द्वारा इस प्रकार बैंक खातों से लेनदेन को अधिकृत किया गया हो, के समर्थन में समुचित तथ्य पत्र के साथ संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

मध्य  
13/07  
उप महालेखाकार  
रिपोर्ट (राज्य वित्त)

755  
NO. 7-18  
24 JUL 2018

Dir (B)

US (B-1)

RA (B-1)

24/7/18

24/7/18

**Status of Bank Accounts operated by DDO's as on**

**31 March 2018**

Sl. No.	Name of Department	Name of the Office	DDO's Name	DDO's Number	Scheme Name	Name and Branch of the Bank	Bank Account No.	Nature /Type of Account (Savings/ Current/ Fixed)	Opening Balance as on 01.04.2017	Deposit Amount during the year 2017-18	Expenditure during 2017-18	Balance as on 31 March 2018	
1.													
2.													
3.													
4.													
Total													

⊗ Details of the permission granted by Finance Department to operate this Bank Account.

*MV*  
13/03/18  
Sr. Audit Officer  
Report (State Finance)